उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्याः वर्ष, 2024)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।
		(2)	अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 1 में संशोधन	2.		उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 में—
			(क) उपधारा 2 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—
			स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनार्थ "सम्पूर्ण उत्तराखण्ड" में, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित समस्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित समस्त संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।
			(ख) उपधारा (2) के पश्चात् एक नई उपधारा (2—क) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:—
			"(2-क): यदि, कोई क्षेत्र 07 जुलाई, 1949 के बाद किसी नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो भी अनुसूची 2 के स्तम्भ 3 में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में स्तम्भ 4, 5 व 6 में वर्णित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत व धारा 3(14) के अन्तर्गत सम्मिलित माने जायेगें, जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अकृषक घोषित न कर दी जाए।"



Luni

विधिमान्यकरण	3.	धारा 2 द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन मूल अधिनियम
		के प्रवृत्त होने की दिनांक से किए गए समझे जाएंगे और तद्नुसार
		उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ
		के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए
		तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात, किसी न्यायालय, अधिकरण या
		अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के
		होते हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और
		प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गयी सुमझी जाएगी, मानो
		उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हैं।

me.

प्रमाणित प्रति श्रीक सूचना अधिकारी विधान समा विधान अधाराण्ड

(रमेश कुमार सुधांशु) प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन

Statement of objectives and Reasons

As a result of the expansion of municipal areas in the state, the agriculture land coming under the municipal area and in the context of the decisions passed by the Honorable Uttarakhand High Court in various petitions in this regard, in view of such land falling under the municipal area being outside the definition of Section 3(14) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, difficulty has arisen in disposal of the cases filed/pending in the revenue courts related to such land. In such a situation, it is inevitable to amend Section 1 of Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950).

2- The proposed bill fulfills the said objectives.

लोक शूचना अधिकारी विद्यान सभा संदिद्यालय उत्तराखण्ड

Pushkar Singh Dhami Chief Minister

300

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Bill, 2024

(Uttarakhand Bill No. of 2024)

A Bill

Further to amend in the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Act No. 1 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by Uttarakhand State Legislature in the Seventy fifth year of the Republic of India as follows: -

1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2024.
	(2)	Save as otherwise provided, it shall come into force at once.
2.		In section 1 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Act No. 1 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001), (hereinafter referred as the principal Act) - (a) After the second proviso to sub-section 2, the following Explanation shall be inserted, namely:— "Explanation: for the purpose of this section "whole of Uttarakhand" also includes all the larger urban areas, declared as such under section 3 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable in the State of Uttarakhand) and all transitional area, smaller urban area, declared as such under section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities
		Act, 1916 (as applicable in the State of Uttarakhand)." (b) After sub-section (2), a new sub-section (2-A) shall be inserted, namely: - "(2-A): Even if any area is included in any local body
		(2)

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंद्रपालय उत्तरखण्ड

Lines

6

		area after July 7, 1949, in respect of the subjects mentioned in column 3 of Schedule 2, it will still be under the jurisdiction of the courts mentioned in columns 4, 5 and 6 and section 3(14), unless the land is declared non-agricultural under the provisions of this Act."
Validation	3.	The amendments made in the principal Act by section 2 shall be deemed to have been made with effect from the date of commencement of the principal Act and accordingly any action or thing taken or done or purporting to have been taken or done under the principal Act on or after the said date and before the commencement of this Act, shall, notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, be deemed to be, and to have always been, for all purposes, as validly and effectively taken or done as if the said amendments had been in force at all material times.

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराखण्ड (रमेश कुमार सुधांशु) प्रमुख सचिव राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024" को आगामी विधान सभा सत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा—1 में संशोधन/अन्तःस्थापन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

2— प्रस्तावित विधेयक मूल अधिनियम का संशोधन मात्र है और उसके अधिनियमित किये जाने पर अतिरिक्त रूप से किसी प्रकार की विधायी शक्तियों का प्रतिनिधायन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविद्यालय उत्तराखण्ड

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2024" को आगामी विधान सभा सत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष, 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा—1 में संशोधन / अन्तःस्थापन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

2— प्रस्तावित विधेयक मूल अधिनियम का संशोधन मात्र है और उसके अधिनियमित किये जाने पर राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय सन्निहित नहीं है।

> प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचितानय उत्तरण्याट

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री।

खण्डवार ज्ञापन

- 1. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ की व्यवस्था की गयी है।
- 2. विधेयक के खण्ड 2 में धारा 1 में संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 3. विधेयक के खण्ड 3 में विधिमान्यकरण की व्यवस्था का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री।

प्रमाणित पति

लोक सूचना <mark>अधिकारी</mark> विधान सभा खोदपालय उत्तराखण्ड